बिहार सरकार,
ऊर्जा विभाग

आदेश

संख्या– प्र01/रा0स्था0–06/2013– 50 पटना, दिनांक 5/6/13

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के ज्ञापांक–487 दिनांक 15.04.2013 द्वारा मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार के पद का सृजन ऊर्जा विभाग के स्थापना के अन्तर्गत किया गया है।

मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार के वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदनोंपरान्त निम्न प्रकार किया जाता है :–

1. वेतन – सरकारी सेवा से प्रतिनियुक्ति के मामले में मूल सेवा में देय वेतन, अन्य भत्तों के साथ देय होगा (संबंधित पदाधिकारी को अपनी पैतृक सेवा में मिलने वाले वेतन पर वेतन संरक्षण दिया जायेगा)।

   सेवा निवृत्त पदाधिकारी के मामले में अंतिम देय वेतन एवं देय पेंशन के अन्तर का भुगतान किया जायेगा।

2. यात्रा एवं दैनिक भत्ता – मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को सरकार के प्रधान सचिव को देय दर पर यात्रा एवं दैनिक भत्ता देय होगा।

3. आवास – मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को सरकारी आवास अथवा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० का आवास दिया जायेगा एवं सरकारी आवास का उपभोग नहीं करने की स्थिति में उन्हें वेतन एवं ग्रेड पे की कुल राशि का 20 प्रतिशत आवास भत्ता के रूप में देय होगा।

4. कार्यालय की सुविधा– मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को कार्यालय एवं सरकार के प्रधान सचिव के अनुरूप कार्यालय कर्मियों की सुविधा देय होगी।

5. वाहन की सुविधा–मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को एक ए0सी0 वाहन की सुविधा दी जायेगी।

6. दूरभाष की सुविधा– मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को कार्यालय तथा आवास पर एक–एक दूरभाष की सुविधा (इंटरनेट सहित) के अतिरिक्त मोबाईल रिचार्ज के लिए प्रति माह अधिकतम एक हजार रूपये देय होगा।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक दिनांक ....

प्रतिलिपि:–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूसन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0/निदेशक, ब्रेडा/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लि0/मुख्य विद्युत अभियंता, ऊर्जा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

कृ0पृ0ऊ0

ज्ञापांक   दिनांक ....

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, ऊर्जा के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक   दिनांक ....

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक 2937   दिनांक 5/6/13

प्रतिलिपिः—श्री पी0 के0 राय, मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/13

सरकार के अपर सचिव।

E-JNP-O Order-04-06-13-P.K.Rai